सीएचआरआई 2020

पुलिस कदाचार

पुलिस द्वारा की जाने वाली सामान्य अनियमित्ताएं व् मानकों का उल्लंघन

Commonwealth Human Rights Initiative

working for the *practical* realisation of human rights in the countries of the Commonwealth

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाला एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी, गैर पक्षपातपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसके कार्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम और अक्करा, घाना में हैं और मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1987 से इसने राष्ट्र मंडल देशों में मानवाधिकार के मुद्दों के इर्दगिर्द वकालत, जुड़ाव बनाए रखा और संगठित किया। न्याय तक पहुंच (ATJ) और सूचना तक पहुंच (ATI) के क्षेत्रों में इसकी विशेषज्ञता व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। न्याय तक पहुंच कार्यक्रम पुलिस और कारागार सुधार पर केंद्रित है ताकि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की मनमानी में कमी आए और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। *सीएचआरआई* नीतिगत हस्तक्षेपों पर निगाह रखता है जिसमें विधिाक उपचार, नागरिक समाज के गठबंधन का निर्माण और हितधारकों के साथ जुड़ाव शामिल है। सूचना तक पहुंच कार्यक्रम सूचना के अधिकार और सूचना की स्वतंत्रता के कानून को सर्वत्र भौगोलिक दृष्टि से देखता है, विशिष्ट परामर्श उपलब्ध कराता है, चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है, पारदर्शिता कानूनों के व्यापक प्रयोग की प्रक्रिया और क्षमता को बढ़ाता है। हम मीडिया और मीडिया के अधिकारों पर दबावों की समीक्षा करते है जबकि छोटे राज्यों के मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और राष्ट्रमंडल सचिवालय पर दबाव बनाने के लिए नागरिक समाज की आवाज़ को पहुंचाने क प्रयास करता है। एसडीजी 8.7 एक नया कार्यक्षेत्र है जिसका समर्थन, अन्वेशण और लामबंदी पूरे भौगोलिक क्षेत्र में दासता के समकालीन स्वरूप से निपटने के लिए बनाई गई है।

सीएचआरआई को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है और राष्ट्रमंडल परिषद से प्रमाणित है। अपनी विशेषज्ञता के लिए सरकारों, प्रबंध निकायों और नागरिक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त *सीएचआरआई* भारत में सोसाइटी, लंदन में चैरिटी और घाना में गैर सरकारी संगठन के बतौर पंजीकृत है।

हालांकि, 53 देशों के संघ राष्ट्रमंडल ने सदस्य देशों को साझा कानून का आधार प्रदान किया लेकिन सदस्य देशों में मानवाधिकार के मुद्दों पर विशेष ध्यान कम ही दिया गया। इसलिए 1987 में कई राष्ट्रमंडल पेशेवर संगठनों ने *सीएचआरआई* की स्थापना की।

सीएचआरआई अपने अनुसंधान, प्रतिबद्धता, लामबंदी, रिपोर्टों और सामयिक पड़तालों के माध्यम से अधिकार के मुद्दों पर प्रगति और असफलताओं पर ध्यान आकर्षित करता है। यह राष्ट्रमंडल सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों, मीडिया और नागरिक समाज को सम्बोधित करता है। यह सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों, नीतिगत चर्चा, तुलनात्मक अनुसंधान, वकालत और सूचना एंव न्याय तक पहुंच बनानेके मुद्दों पर नेटवर्किंग के लिए काम करता है और सहयोग देता है।

सीएचआरआई मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, राष्ट्रमंडल हरारे के सिद्धांतों और अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अन्य प्रपत्रों के साथ–साथ मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू प्रपत्रों के अनुपालन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

vrjk”Vh; ijke’k vk;kx% एलिसन डक्सबरी, अध्यक्ष। सदस्यः वजाहत हबीबुल्लाह, जोअन्ना ईवर्ट–जेम्स, एडवर्ड मोर्टिमर, सैम ओकुडज़िटो और संजॅय हज़ारिका

dk;dkjh lfefr ¼Hkkjr½% वजाहत हबीबुल्ला, अध्यक्ष। सदस्यः किशोर भार्गव, बी.के. चंद्रशेखर, जयंतो चौधरी, माजा दारूवाला, नितिन देसाई, कमल कुमार, मदन बी लोकुर, पूनम मुतरेजा, जैकब पुन्नूस, विनीत राय, ए.पी. शाह और संजॅय हज़ारिका

dk;dkjh lkfefr ¼?kkuk½% सैम ओकुडज़ेटो, अध्यक्ष। सदस्यः अकोटो एम्पा, वजाहत हबीबुल्लाह, कोफी कुआषिंगह, जूलियट टुआकली और संजॅय हज़ारिका

dk;dkjh lfefr ¼;w-d-½% जोआना एवर्ट–जेम्स, अध्यक्ष। सदस्यः रिचर्ड बोर्न, प्रलब बरुआ, टोनी फोरमैन, निवेले लिंटन, सुज़ाना लैम्बर्ट और संजॅय हज़ारिका

संजॅय हज़ारिका अंतर्राष्ट्रीय निदेशक

© कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनीशिएटिव 2020। स्रोत को विधिवत स्वीकार करते हुए इस रिपोर्ट की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।

ISBN: 978-93-81241-28-48

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

सीएचआरआई मुख्यालय, नई दिल्ली
कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
55ए, तीसरा तल, सिद्धार्थ चैम्बर्स – 1
कालू सराय, नई दिल्ली – 110016
टेलीफोनः +91 11 4318 0200
फैक्सः +91 11 4318 0217
ईमेलः info@humanrightsinitiative.org

सीएचआरआई, लन्दन
रूम नं. 219
स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडी,
साउथ ब्लाक, सिनेट हाउस
मालेट स्ट्रीट, लंदन WC1E 7HU
यूनाइटेड किंगडम
ईमेलः chri.admin@sas.ac.uk

सीएचआरआई अफ्रीका, अक्करा
हाउस नं. 9, समोरा मैकल स्ट्रीट,
असाइलम डाउन,
बीवरली हिल्स होटल के सामने
ट्रस्ट टावर के पास, अक्करा, घाना
टेलीफोन/फैक्सः +233 302 971170
ईमेलः chriafrica@humanrightsinitiative.org

www.humanrightsinitiative.org

पुलिस कदाचार

पुलिस द्वारा की जाने वाली सामान्य अनियमित्ताएं व् मानकों का उल्लंघन

लेखक

नवाज़ कोतवाल

अनुवाद

उसामा खान

संपादक

माया दारूवाला

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

2020

विषय सूची

1. परिचय 1
2. अपराध के प्रकारः संज्ञेय और गैर–संज्ञेय 2
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) 3
4. तहक़ीकात 8
   - क. पंचनामा 9
   - ख. पोस्टमार्टम (शव–परीक्षा) 11
   - ग. अपराध स्थल 14
   - घ. केस डायरी 16
5. गवाहों से पूछ ताछ 21
6. तलाशी व् खोजबीन 23
7. गिरफ़्तारी 29
8. पूछताछ 31
9. ज़मानत 33
10. जांच का समापन 37

परिचय

पुलिस अपराध न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, और हिंसा व् अपराध से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के लिए पहला संबल होता है। यह राज्य की एक सबसे प्रत्यक्ष (सशस्त्र) भुजा भी होती है। इसके बावजूद, सामान्य जनता के रूप में हम पुलिस की शक्तियों, जिम्मेदारियों व् उसकी कार्यप्रणाली व् अपने क़ानूनी अधिकारों के बारे में अल्प ज्ञान रखते हैं। पुलिस कानून के द्वारा बाध्य है व् उसे कानून के अनुरूप ही कार्य करना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस अपनी शक्तियों का दुरूपयोग न करे, यह आवश्यक है कि हमें पता हो कि पुलिस से व्यवहार के बारे में कानून क्या कहता है व् हमारे अधिकार क्या हैं।

यह किताब पुलिस कार्यप्रणाली से जुड़े प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क़ानूनी प्रक्रिया के प्रमुख नियमों (कानूनों) व् मानकों पर प्रकाश डालती है। यह किताब पुलिस प्रक्रिया से जुड़े कदाचार व् अनियमित्ताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालती है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि पुलिस को क़ानून के अनुरूप किस प्रकार काम करना चाहिए जबकि अक्सर पुलिस द्वारा कानून व् प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जा रहा है।

अपराध के प्रकारः संज्ञेय व् ग़ैर-संज्ञेय

संज्ञेय अपराध

- वह अपराध जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के तहक़ीकात/तफ़्तीश कर सकती है।

ग़ैर-संज्ञेय अपराध

- वह अपराध जिनकी तहक़ीकात/तफ़्तीश के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट हासिल करना ज़रूरी है।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की प्रथम अनुसूची अपराधों को संज्ञेय व् गैर–संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत करती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़आईआर)

एफ़आईआर क्या है?

- एफ़आईआर, प्रथम सुचना रिपोर्ट है जो कि किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का ज्ञान हो, सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को दी जाती है। अपराध की रिपोर्ट के नतीजे में प्राथमिकी पंजीकृत होनी चाहिए।
- संज्ञेय अपराध की सूरत में पुलिस को प्राथमिकी पंजीकृत करना चाहिए।
- एफ़आईआर पीड़ित द्वारा, अपराध के साक्षी द्वारा, एक पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अपराध का ज्ञान हो दायर की जा सकती है।
- जब एफ़आईआर पंजीकृत हो जाए तो पुलिस तहक़ीकात/तफ़्तीश करने के लिए क़ानूनन बाध्य है।
- कोई पुलिस अधिकारी एफ़आईआर पंजीकृत करने से उस स्थिति में भी इंकार नहीं कर सकता जबकि अपराध उसके थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुआ हो। वह एफ़आईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है (जिसे शून्य एफ़आईआर कहते हैं) तथा एफ़आईआर को सम्बंधित थाने को भेजना भी उसी की ज़िम्मेदारी है।

एफ़आईआर पंजीकरण की प्रक्रिया

- एफ़आईआर सूचना लिखित अथवा मौखिक रूप में पुलिस अधिकारी के समक्ष दी जा सकती है।
- अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो पुलिस अधिकारी को आपसे कहना चाहिए की आप घटना का मौखिक वर्णन करें ताकि वह सरलतम शब्दों में, जहां तक संभव हो आपकी भाषा के अनुरूप ही बयान दर्ज करे।
- पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित बयान को आपके समक्ष दोहराना चाहिए।
- सूचना देने वाला व्यक्ति एफ़आईआर पर हस्ताक्षर करेगा। इस पर आप तभी हस्ताक्षर करें जब यह सुनिश्चित कर लें कि पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की गई जानकारी आपके बयान के अनुरूप है।
- भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) की धारा 326A, 326B, 354, 354B, 370A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E या 509 के अंतर्गत किसी भी लिंग आधारित यौन अपराध की घटना की एफ़आईआर का पंजीकरण महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, या अगर पीड़िता खुद जानकारी दे रही हो तो एक महिला अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। अगर पीड़ित मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम (यहाँ तक कि अस्थाई रूप से भी) तो उसकी एफ़आईआर उसके निवास पर या उसके द्वारा चयनित स्थान पर एक व्याख्याकार/ विशेषज्ञ की उपस्थिति में दर्ज की जायेगी व् इसकी विडियोग्राफी भी की जाएगी।
- एफ़आईआर की प्रति सूचना देने वाले को मुफ्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- प्रत्येक एफ़आईआर की तारीख़ व् विवरण पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी में दर्ज की जाना चाहिए।

एफ़आईआर दर्ज होने के बाद क्या होना चाहिए?

ifyl vf/kdkjh dk djuk gkrk g%

- एफ़आईआर जिस दिन पंजीकृत हुई है उसी दिन बिना किसी देरी के एफ़आईआर की एक प्रति संज्ञान लेने के अधिकार के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है।
- एफ़आईआर की एक प्रति सर्किल इन्स्पेक्टर को तथा एक प्रति ज़िला पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भेजना होता है।
- जांच आगे बढ़ानी होती है।

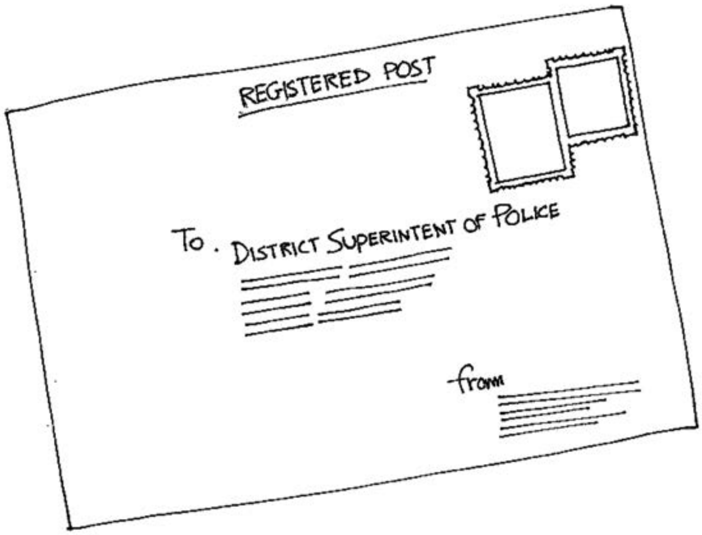

क्या होगा अगर पुलिस अधिकारी एफ़आईआर पंजीकृत करने से मना कर दे?

vki dj ldr g%

- घटना की जानकारी ज़िला पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक द्वारा दें, अगर सूचना संज्ञेय अपराध से सम्बंधित है तो पुलिस अधीक्षक स्वयं घटना की जांच कर सकता है या किसी कनिष्ठ अधिकारी को जांच के आदेश दे सकता है।
- अगर पुलिस अधीक्षक कोई कारवाई नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करें।
- मजिस्ट्रेट केस के बारे में पड़ताल कर सकता है या पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य अधिकारी जिसे वह उचित समझे, के द्वारा जांच करा सकता है।
- अगर आप महिला हैं व् यौन अपराध से पीड़ित हैं तो आप आईपीसी की धारा 166A(c) के अंतर्गत, आपकी शिकायत न दर्ज करने के दोषी पुलिस अधिकारी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करा सकती हैं।

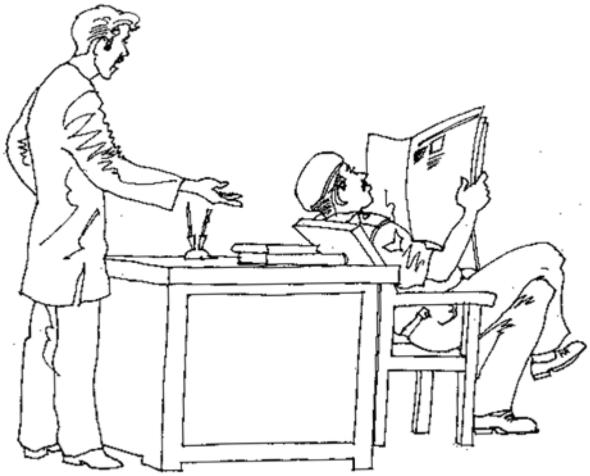

पुलिस द्वारा किये जाने वाले सामान्य कदाचार व् अनियमितताएं

i|fy l vf/kdkjh dj ldrk g%

- एफ़आईआर दर्ज करने से इंकार।
- आप पर विश्वास न करे।
- आपसे रिश्वत की मांग करे।
- आपसे समझौता करने को कहे।
- तथ्यों के साथ छेड़ छाड़।
- आपसे कहे कि मामला ग़ैर संज्ञेय है।
- आपसे कहे कि आपको एफ़आईआर पर हस्ताक्षर नहीं करना है।
- एफ़आईआर को आपके समक्ष न दोहराए।
- आपको उसकी एक प्रति देने से मना कर दे।
- जनरल डायरी में सूचना की प्रविष्टि न करे।

तहक़ीकात

tls gh vijk/k dh lwpuk feys mlds lkFk gh] iqfyl vf/kdkjh dks pkfg, fd%

- मामले के तथ्यों पर विचार करे।
- उन पंचों व् विशेषज्ञों को बुलाये जिनकी मदद मामले की जांच पड़ताल में ली जानी है।
- अपराध स्थल पर जायें।
- *पंचनामा* की प्रक्रिया पूरी करें।

पंचनामा क्या होता है?

- यह पंचों द्वारा किये गए निरीक्षण का एक क़ानूनी दस्तावेज़ होता है।
- यह पंचों के नाम, उनकी आयु, व्यवसाय तथा उनके पते के ब्योरे के साथ प्रारंभ होता है।
- इसके अन्दर पंचनामा करने के कारण तथा अपराध स्थल के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए।
- इसको लिखने के बाद इस पर पंचों के हस्ताक्षर होने चाहिएं।
- इस पर पंचनामा शुरू होने का समय व् तारीख तथा पूर्ण होने की तारिख व् समय होना चाहिए।

iap gksrs gSa%

- समुदाय के सम्मानित, स्वतन्त्र व् निष्पक्ष लोग जिन्हें पुलिस द्वारा घटना के विवरण की पुष्टि के लिए बुलाया जाता है।

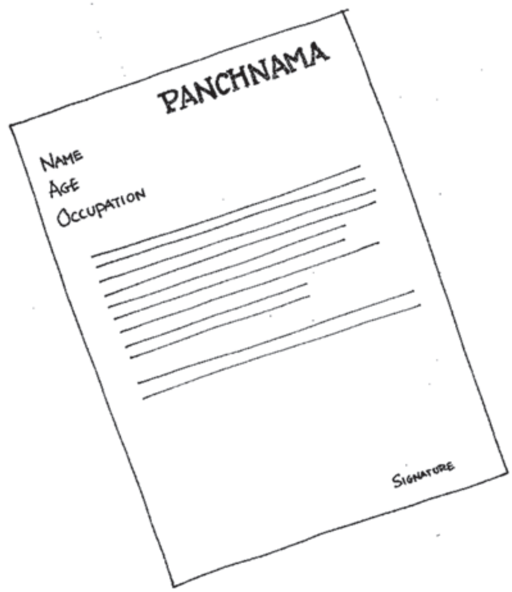

पंचनामा कब (क्यों) किया जाता है?

पुलिस को पंचों की उपस्थिति में पंचनामा करना होता है:

- जब किसी मौत के सिलसिले में तहक़ीकात कर रही हो।
- छान बीन में ज़ब्त की गई वस्तुओं को रिकॉर्ड पर लाने के लिए।

पोस्टमार्टम

ikLVekVe ¼’ko&ijh{kk½ D;k gkrh g\

- मृत्यु के मामले में शव को पंचनामा के उपरांत पोस्टमार्टम (शव परीक्षा) के लिए भेजा जाता है। यह मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है।
- केवल एक पुलिस अधिकारी ही जोकि उप–निरीक्षक के पद से नीचे नहीं होना चाहिए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकता है।

ikLVekVe fd;s tkr g%

- जब मौत का कारण पता न हो, अथवा मौत अप्राकृतिक व् संदिग्ध हालत में हुई हो।
- ये पता लगाने के लिए कि मृत्यु महज़ एक दुर्घटना थी या, आत्महत्या अथवा नरसंहार।

ikLVekVe fjikV l D;k ldr feyr g\

- मृत्यु का समय।
- मृतक का लिंग।
- मृत्यु का संभावित कारण।

ikLVekVe dl fd;k tkuk pkfg,\

- केवल एक प्रमाणित चिकित्सक जिसके पास पुलिस द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र हो, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को कर सकता है. उसका पद अधीनस्थ चिकित्सा अधिकारी से कम नहीं होना चाहिए।
- शव प्राप्त होने के बाद चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक रसीद दी जानी चाहिए।

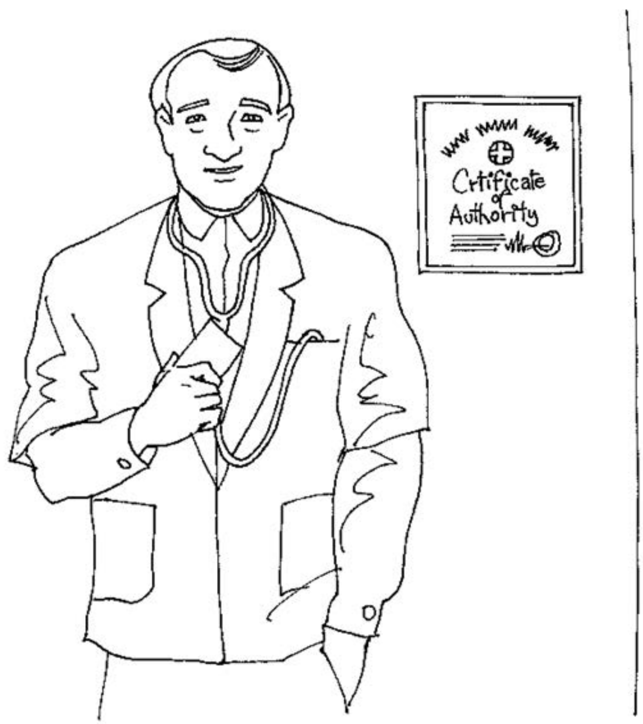

fpfdRlk vf/kdkfj;ksa dk drZO;%

- शव पर मौजूद तमाम आतंरिक व् बाह्य चोटों को विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए।
- शव के अन्दर से प्राप्त किसी भी वाह्य वस्तु या पदार्थ का वर्णन विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए।
- बरामद किये गए वाह्य पदार्थ/वस्तु को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए।
- मृत्यु के कारणों को विस्तार पूर्वक लिखना चाहिए।
- सम्बंधित थाने व् पुलिस अधीक्षक को इसकी एक प्रति भेजनी चाहिए।

पुलिस अधिकारी व् चिकित्सा अधिकारी सम्मिलित रूप से पोस्टमार्टम करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

पोस्टमार्टम प्रक्रिया के उपरांत मृतक का शव मृतक के सम्बन्धियों को दिया जाना चाहिए।

सामान्य कदाचार

lkekU;r% iksLVekVZe%

- अपराध स्थल पर ही कर दिए जाते हैं।
- सामान्यतः कम्पाउंडर अथवा ग़ैर–चिकित्सा स्टाफ़ द्वारा कर दिए जाते है।
- अपर्याप्त समय में ही कर दिया जाता है।
- बिना विस्तृत जांच पड़ताल के ही प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है।
- शरीर काटे जाने के बाद उसे दोबारा ठीक से सिला नहीं जाता है।

तफ़्तीश

vijk/k LFky ij ,d ifyl vf/kdkjh dk djuk pkfg;%

- उस गवाहों से संपर्क करे जिनके पास अपराध से जुड़ी जानकारी हो सकती है।
- अपराध स्थल की तस्वीरें लेनी चाहिए।
- अपराध स्थल पर अपराधी की उँगलियों व् पैरों के निशान तलाश करे व् उनको इकट्ठा करे।
- फॉरेंसिक विशेषज्ञों को सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराध स्थल पर बुलाये।
- हत्या जैसे गंभीर मामलों की जांच में पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद ले।
- अपराध स्थल का एक विस्तृत मानचित्र बनाये।

vijk/k LFky ij ,d ifyl vf/kdkjh dk djuk pkfg;%

- सबूतों को इकट्ठा करे व् यह सुनिश्चित करे कि सबूत ग़ायब न हों व् उनके साथ कोई छेड़ छाड़ न की जाए।
- अपराध स्थल को सील कर दे।
- बरामद की गई तमाम वस्तुओं व् सबूतों को *मुद्दमल* नामक रजिस्टर में दर्ज करे।
- घायलों को प्राथमिक चिकित्सा मुहैय्या कराये व् गंभीर रूप से घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराये।
- शव/शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे।
- तहक़ीकात/तफ़्तीश में की गईं तमाम प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन केस डायरी में करे।

dsl Mk;jh

dsl Mk;jh D;k g\

- यह जांच अधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में जांच में की गई प्रक्रियाओं व् उठाये गए क़दम का उसकी अपनी हस्त–लिपि में लिखा गया विस्तृत लेखा जोखा है।
- यह जांच प्रक्रिया के दौरान प्रति दिन आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।
- जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए की केस डायरी हर समय उनके पास सुरक्षित अभिरक्षा में है।
- यह दैनिक आधार पर पर्यवेक्षक अधिकारी के पास भेजी जानी चाहिए। यह पर्यवेक्षक अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वह केस डायरी का निरिक्षण करे, जांच पड़ताल की प्रगति का निरीक्षण करे तथा जहां आवश्यक हो सलाह भी दे।

l{ki e] dl Mk;jh e gkrk g

- क्रमांकित पृष्ठ
- घटना की सूचना प्राप्त होने का समय
- जांच शुरू होने व् समाप्त होने के समय का विवरण
- निरीक्षण किये गए स्थान व् उन स्थानों पर बिताये गए समय का विवरण
- शिकायतकर्ता व् सभी आरोपियों का विवरण
- गिरफ्तारियों का विवरण
- जांच पड़ताल में की गई सभी प्रक्रियाओं का विवरण
- अपराध स्थल/स्थलों का मानचित्र के साथ सम्पूर्ण विवरण
- जांच किये गए सभी व्यक्तियों का विवरण – गवाह, संदिग्ध व् अभियुक्त
- जांच का आधार, तमाम तलाशियों व् बरामद की गई वस्तुओं का विवरण
- तमाम पक्षों व् सुरागों का विवरण, सत्यापित करने के लिए उठाये गए क़दम व् परिणामो का विवरण
- पर्यवेक्षी अधिकारियों से प्राप्त सलाह व् आदेशों का विवरण
- मामले से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों के नाम

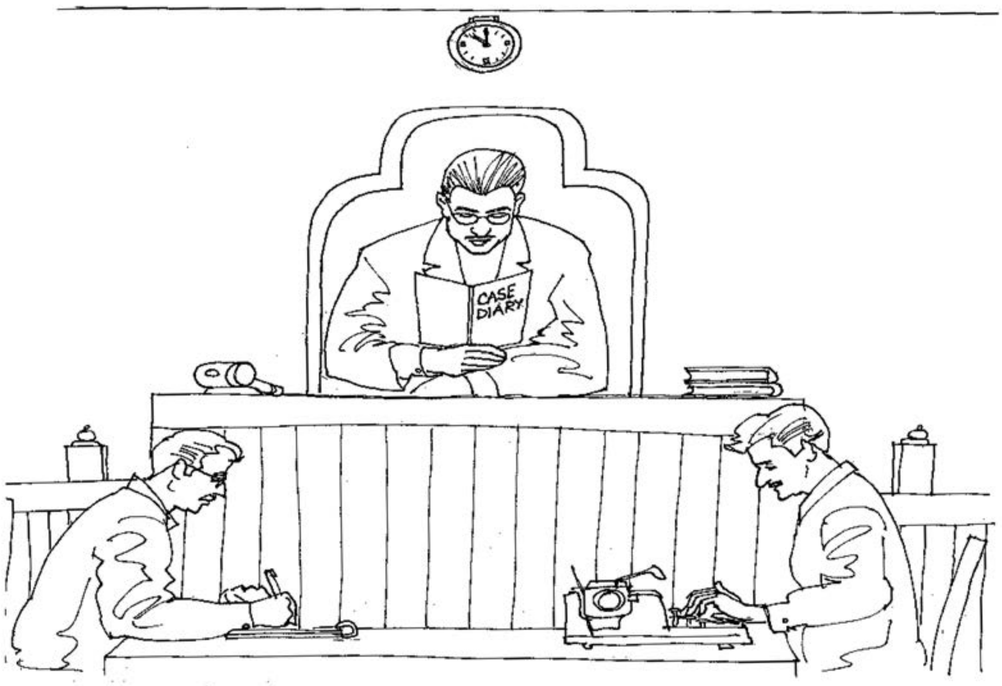

dsl Mk;jh dk mi;ksx fdl dk;Z esa ugha fd;k tk ldrk

- ना अभियुक्त ना ही शिकायतकर्ता केस डायरी की प्रति हासिल करने का हक़दार है।
- केस डायरी का उपयोग केवल जांच अधिकारी द्वारा कोर्ट में पड़ताल के दौरान अपनी याद्दाश्त को ताज़ा करने के लिए किया जाता है।
- यह अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। लेकिन अदालत में जांच के दौरान सहायता के लिए इसको प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है।

d l Mk;jh vnkyr }kjk exkbl tk ldrh g(

- जानने के लिए कि जांच प्रक्रिया ठीक तरीके से पूरी की गई है।
- ऐसे गवाहों को बुलाने के लिए जिनका उल्लेख अभियोजन पक्ष द्वारा उपलध कराई गई सूची में नहीं है।
- केस में सहायता के लिए अन्य प्रासंगिक तथ्यों/सामग्री को रिकार्ड पर लाने के लिए।
- मामले की सुनवाई से जुड़े अन्य तथ्यों को रिकार्ड पर लाने के लिए जिनसे फ़ैसले में मदद मिल सकती है।

सामान्य कदाचार व् अनियमितताएं

lkekU;r% D;k gksrk gS

iqfyl lkekU;r%(

- पुलिस अपराध स्थल पर आराम/विलम्ब से पंहुचती है।
- अपराध स्थल को सुरक्षित व् संरक्षित नहीं किया जाता।
- प्रक्रिया के अनुसार पंचनामा नहीं किया जाता।
- अपराध स्थल से बरामद की गई वस्तुओं को *मुद्दमल* रजिस्टर में पंजीकृत नहीं किया जाता।
- बरामद की गई वस्तुओं को सील करके सुरक्षित नहीं किया जाता, परिणाम स्वरूप सबूत अविश्वसनीय हो जाते हैं तथा अपराधी दोषमुक्त हो जाते हैं।
- बरामद सामग्री को विश्लेषण के लिए नहीं भेजा जाता फलस्वरूप वे थाने के मालखाने में पड़ी रहती हैं। परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो जाते हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों/गवाहों से पूछताछ

किसके द्वारा, कब व् कहां

एक प्रत्यक्षदर्शी/गवाह अभियुक्त नहीं होता है। एक प्रत्यक्षदर्शी/गवाह से पुलिस द्वारा तभी पूछताछ की जाती है जब उसके पास अपराध से जुड़ी जानकारी हो/अथवा किसी प्रासंगिक तत्थ्य की जानकारी हो।

fd l d; }kjk%

- जांच अधिकारी के द्वारा।
- हेड कांस्टेबल से कम पद का कोई अधिकारी प्रत्यक्षदर्शी/गवाह से पूछताछ नहीं कर सकता।

dgk%

- प्रत्यक्षदर्शी/गवाह को थाने में पूछताछ के लिए केवल लिखित आदेश देकर ही बुलाया जा सकता है।
- 15 साल से कम आयु के बच्चे, महिलाओं, 65 वर्ष से ऊपर के किसी भी व्यक्ति, अथवा मानसिक व् शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने पर नहीं बुलाया जा सकता है। उनसे पूछताछ केवल उनके घर में व् उनके सम्बन्धियों/दोस्तों की उपस्थिति में ही की जा सकती है।

dSls%

- एक प्रत्यक्षदर्शी/गवाह से पूछताछ घटना के तुरंत बाद ही हो जानी चाहिए जबकि उनकी याददाश्त ताज़ा हो।
- प्रत्यक्षदर्शी/गवाह से पूछताछ/छानबीन विस्तार के साथ किया जाना चाहिए।
- प्रत्यक्षदर्शी/गवाह का बयान उस भाषा में दर्ज होना चाहिए जो वह जनता हो।
- पुलिस के द्वारा प्रत्यक्षदर्शी/गवाह को रिश्वत देकर, डरा धमका कर, अथवा धमकी देकर बयान देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
- प्रत्यक्षदर्शी/गवाह द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर प्रत्यक्षदर्शी/गवाह के हस्ताक्षर नहीं लिए जा सकते हैं।

तलाशी

r yk’kh yu dh [kyh NV ugh g

क़ानून के अनुसार पुलिस को किसी व्यक्ति अथवा स्थान की तलाशी लेने की खुली छूट नहीं है। तलाशी की कार्यवाई बहुत ही नियंत्रित परिस्थितियों में की जानी चाहिए। एक सामान्य मछली पकड़ने जैसी तलाशी की प्रक्रिया की अनुमति नहीं है।

yfdu ifyl eftLV‍V l okjV çkIr djd vFkok fcuk okjV d Hkh ryk’kh dj ldrh g vxj%

- पुलिस अधिकारी को यह यकीन हो कि जांच के लिए यथोचित प्रासंगिक सामग्री किसी निर्दिष्ट स्थान पर पाई जा सकती है।
- उस सामग्री को बिना देर किये सुरक्षित करना आवश्यक है।

तलाशी की प्रक्रिया किस प्रकार की जा सकती है?

i|fy l vf/kdkjh dk pkfg, fd%

- सामग्री व् स्थान का उल्लेख करे जिसकी तलाशी ली जानी है।
- तलाशी के कारणों का उल्लेख करे।
- यह सभी विवरण मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे, जो कि वारंट जारी करेगा।

तलाशी का वारंट/सर्च वारंट

ryk’kh dk okjaV esa D;k&D;k ‘kkfey gksuk pkfg,\

- तलाशी करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम व् उसके पद का विवरण।
- जिस जगह की तलाशी होनी है उसका विवरण।
- तलाशी का कारण।
- पुलिस अधिकारी को दिए गए अधिकारों का विवरण, अगर आवश्यक हो जाए तो परिसर में प्रवेश के लिए उचित बल का प्रयोग करने का अधिकार व् अपराध से सम्बंधित सामग्री ज़ब्त करने का अधिकार।
- वारंट जारी करने की तारीख़।
- अदालत की मुहर व् मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर।

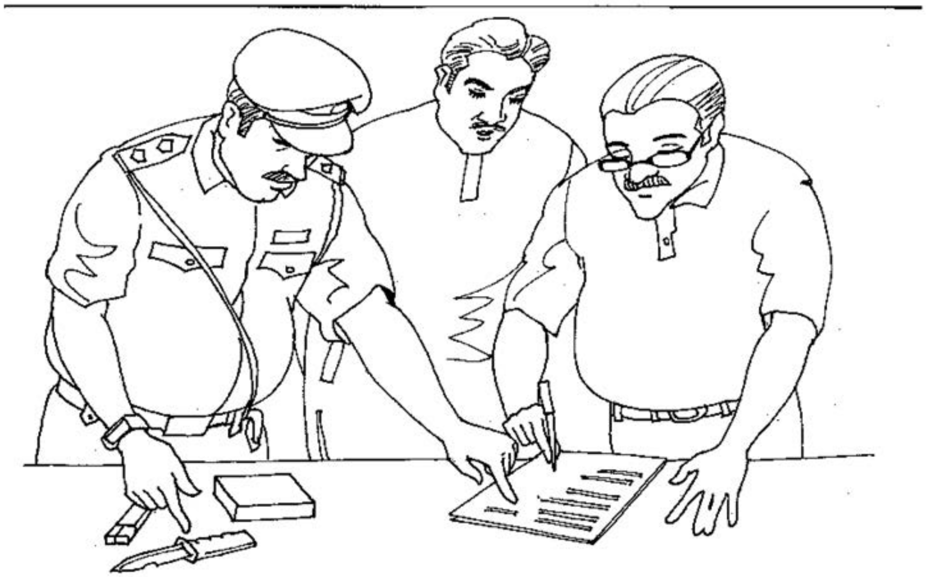

इन प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए

i|fyl vf/kdkjh dk djuk gkxk%

- परिसर के मालिक को तलाशी वारंट की एक प्रति देनी होगी।
- तलाशी की निगरानी/गवाही के लिए इलाक़े के दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्तियों को बुलाना होगा।
- गवाहों की मौजूदगी में तलाशी की प्रक्रिया होगी।
- तमाम ज़ब्त की गई सामग्रियों की एक सूची बनानी होगी व् उस पर गवाह के हस्ताक्षर लेने होंगे।

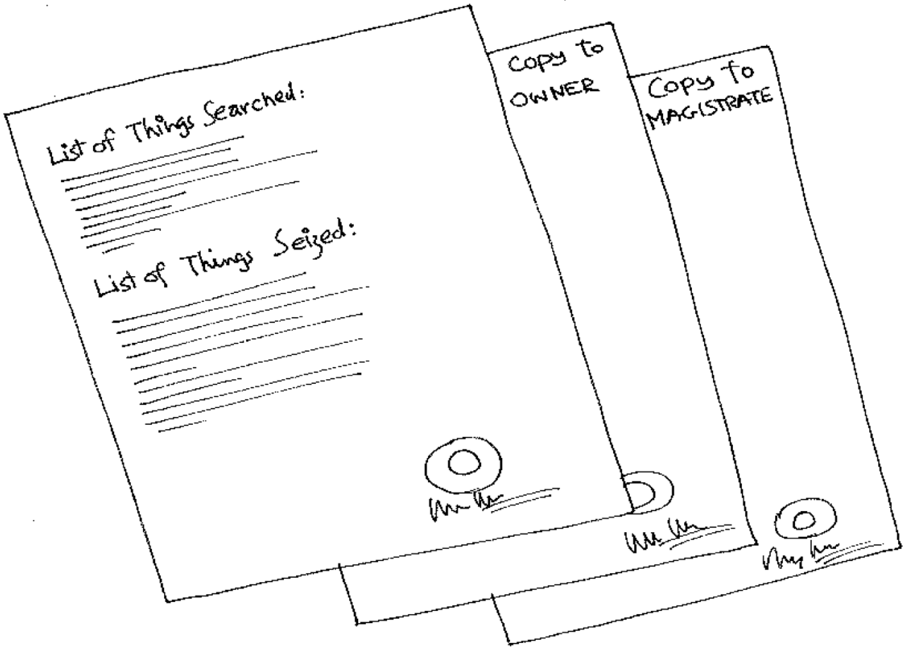

ifyl vf/kdkjh dk djuk gkxk%

- परिसर के मालिक को तलाशी के समय वहां उपस्थित रहने की अनुमति देनी होगी।
- तलाशी लिए गए सामानों व् ज़ब्त की गई सामग्रियों की एक सूची परिसर मालिक को देनी होगी।
- तलाशी की प्रक्रिया सूर्यास्त से पहले की जाए।
- अगर तलाशी रात के समय की जाती है तो इसकी आवश्यकता के कारण दर्ज किये जाएं।
- ज़ब्त की गई सामग्री की रिपोर्ट उसी दिन मजिस्ट्रेट को दी जाए।

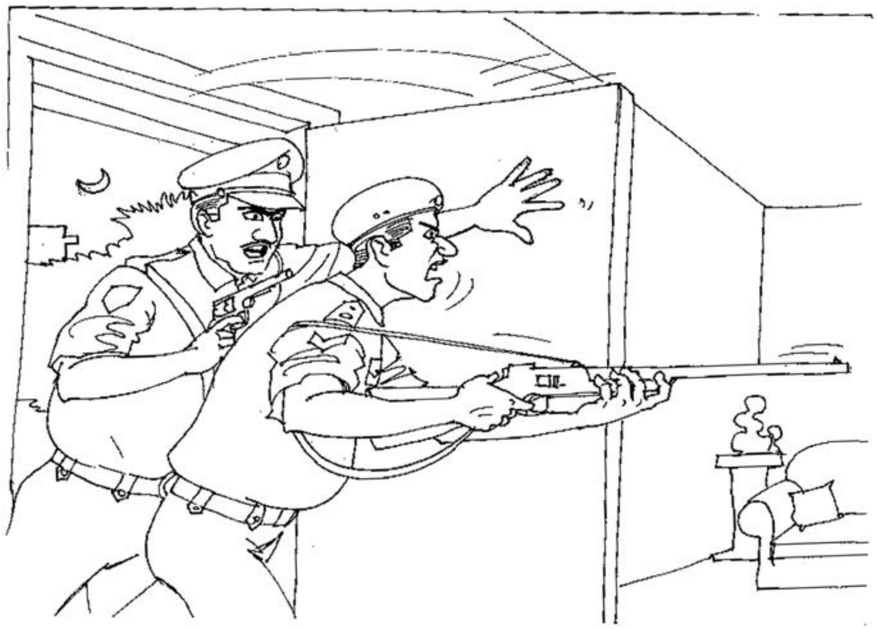

सामान्य कदाचार/अनियमित्तायें

ifyl lkekU;r%

- अनावश्यक बल प्रयोग करते हुए आपके घर में घुस जाती है।
- आपको तलाशी के लिए आवश्यक वारंट नहीं दिखाती है।
- गवाहों को मौक़े पर नहीं बुलाती है।
- परिसर के मालिक को तलाशी के समय उपस्थित रहने की अनुमति नहीं देती है।
- तलाशी लिए गए व् ज़ब्त किये गए सामानों की सूची नहीं बनाती है। अक्सर तलाशी के दौरान मिली नक़दी व् कीमती वस्तुएं पुलिस उठा ले जाती है।
- आधी रात के समय तलाशी लेती है।

गिरफ़्तारी

गिरफ़्तारी की प्रक्रिया

fxj¶rkjh ds le; iqfyl dks djuk pkfg,%

- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को तुरंत उसकी गिरफ़्तारी के कारणों से अवगत कराए।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को सूचित करे कि वह वकील से परामर्श कर सकता है व् वकील द्वारा अपना बचाव कर सकता है। अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति सामर्थ न होने की वजह से वकील का इंतज़ाम नही कर सकता तो वह मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकारी होगा।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे।
- 7 साल तक की सज़ा वाले किसी भी अपराध में अभियुक्त किसी भी अपराधी के सिलसिले में सीआरपीसी (CrPc) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को सूचित करे कि वह ज़मानत ले सकता/सकती है अगर उसे ज़मानती अपराध में गिरफ़्तारी किया गया है।
- गिरफ़्तारी के सिलसिले में, गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के सम्बन्धी/दोस्त को सूचित किया जाए, तथा जिस व्यक्ति को जानकारी दी गई है उसका नाम व् संपर्क विवरण जनरल डायरी में दर्ज किया जाए।
- गिरफ़्तारी की तारीख़, समय व् स्थान को रिकार्ड करने के लिए गिरफ़्तारी का मेमो तैयार किया जाए और उस पर कम से कम एक स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर लिए जाएं।
- गिरफ़्तारी के समय ही गिरफ़्तार व्यक्ति को एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी के पास चिकित्सकीय परिक्षण के लिए भेजा जाए। चिकित्सकीय परिक्षण रिपोर्ट की एक प्रति गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को दी जाए।

- गिरफ़्तारी को जनरल डायरी, केस डायरी व् गिरफ़्तारी के रजिस्टर में दर्ज किया जाए।
- अगर गिरफ़्तार किया गया व्यक्ति "निरिक्षण मेमो" की मांग करता है तो निरक्षण मेमो पर उसकी शारीरिक अवस्था (सभी छोटी बड़ी चोटों) को दर्ज किया जाए। इसकी एक प्रति गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति को दी जाए।
- हर गिरफ़्तारी के लिए ज़िला/राज्य पुलिस मुख्यालय के पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया जाए।

गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति की तलाशी गवाहों के सामने होनी चाहिए। गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति के पास से बरामद सभी सामान पुलिस की सुरक्षा में रखा जाना चाहिए। इन सभी सामानों की एक रसीद गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

हथकड़ी का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो कि गिरफ़्तार किया गया व्यक्ति हिरासत से भागने का प्रयास कर सकता/सकती है, अथवा स्वयं को व् दूसरों को ज़ख़्मी कर सकता/सकती है।

गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति के पास से ज़ब्त किया गया असलहा/हथियार पंचनामा में दर्ज किया जाना चाहिये व् अदालत को सौंप दिया जाना चाहिए।

प्रार्थना/पूजा स्थल से कोई गिरफ़्तारी नहीं की जा सकती है।

किसी महिला को सूर्यास्त व् सूर्योदय के मध्य गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, केवल असाधारण परिस्थितियों में न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के साथ ही ऐसा किया जा सकता है।

गिरफ्तार की गई महिला की तलाशी एक महिला पुलिस अधिकारी ही ले सकती है अथवा कोई और महिला अधिकारी शालीनता का सख्ती से अनुपालन करते हुए तलाशी ले सकती है।

पूछताछ

उस व्यक्ति के अधिकार जिससे पूछताछ की जा रही हो

- आपको चोट नहीं पंहुचाई जा सकती, आपको मारा नहीं जा सकता, आपको डराया व् धमकाया नहीं जा सकता।
- आप पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति के लिए आग्रह कर सकते हैं।
- आप उन सवालों का जवाब देने से इंकार कर सकते हैं जो आपके ख़िलाफ़ जा सकते हों।
- आपको एक चिकित्सक के समक्ष ले जाना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप पर किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग तो नही हुआ है।

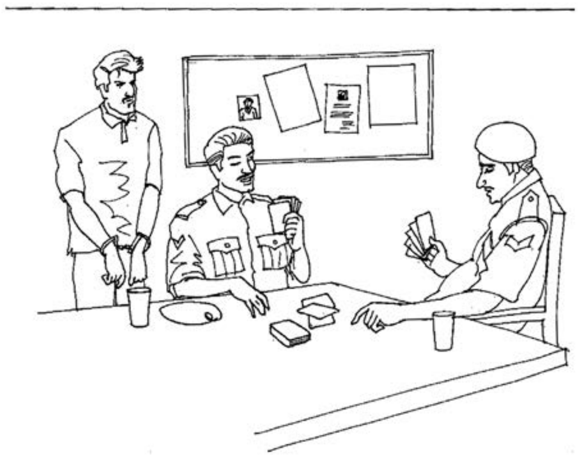

सामान्य कदाचार/अनियमित्ताएं

okLro esa D;k gksrk gS

iqfyl lkekU;r%

- अनावश्यक बल प्रयोग करती है।
- व्यक्ति को यह नहीं बताती कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को हथकड़ी लगा देती है।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है।
- गिरफ्तारी को तुरंत दर्ज नहीं करती है अपितु बाद की किसी तारीख़ में दर्शाती है, तथा झूठी तारीख़ से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के सम्बन्धी/मित्र को गिरफ्तारी के बारे में सूचना नहीं देती है।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को यह नहीं बताती है कि वह एक वकील उपस्थित रख सकता है।
- थर्ड डिग्री टोर्चेर के तरीकों का प्रयोग करती है।

vxj vki bl çdkj ds 'kfä ds nq:i;ksx dk f'kdkj gq, gSa rks vki dj ldrs gSa%

- व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक के समक्ष इसकी शिकायत कर सकते हैं।
- सम्बंधित मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- आप अपने राज्य में मानवाधिकार आयोग से इसकी शिकायत कर सकते हैं, अगर आपके राज्य में आयोग नहीं है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष इसकी शिकायत कर सकते हैं।
- यदि आपके राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकरण है तो उसके समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- अपने राज्य के उच्च न्यायलय अथवा उच्चतम न्यायलय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं।
- उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध एफ़आरआई दर्ज करा सकते हैं जिसने आपको ग़ैर–क़ानूनी तरीकें से गिरफ्तार किया हो या हिरासत में लिया हो।

ज़मानत

- ज़मानत किसी गिरफ्तार व्यक्ति की निश्चित शर्तों पर हिरासत से रिहाई की प्रक्रिया है।
- इन शर्तों में सामान्यतः ये शामिल होता है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति बुलाये जाने पर अदालत अथवा पुलिस के समक्ष हाज़िर होगा।
- गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत द्वारा तय की गईं सभी शर्तो का पालन करना होगा।

क्या ज़मानत एक अधिकार है?

- हां, कुछ मामलों में। यह इस बात पर निर्भर करता हैं कि अपराध ज़मानती अथवा ग़ैर–ज़मानती प्रकृति का है। सीआरपीसी (CrPc) की प्रथम अनुसूची, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों का ज़मानती व् ग़ैर–ज़मानती श्रेणी में वर्गीकरण करती है।

> ''आपको जिस अपराध में हिरासत में लिया गया है, अगर आप उसमें निर्दिष्ट अधिकतम कारावास की अवधि, का आधा समय हिरासत में गुज़ार चुके हैं तो, आपको निजी मुचलके (Bond) व् प्रतिभूति अथवा केवल निजी मुचलके (Bond) पर अदालत के द्वारा रिहा किया जा सकता है। अगर आप ऐसे अपराध में अभियुक्त हैं जिसमें सज़ा मृत्यु–दण्ड है, तो यह लागू नहीं होता।''

ज़मानती श्रेणी के अपराध हैं:

- कम गंभीर श्रेणी के अपराध – अधिकतर अपराध जिनमें तीन वर्ष तक की कारावास की सज़ा हो सकती है ज़मानती श्रेणी के अपराध हैं।

vxj vki tekurh J.kh ds vijk/k esa fxj¶rkj gq, gS rks%

- आपका यह अधिकार है कि आप गिरफ़्तारी के तुरंत बाद ज़मानत पर रिहा हों, व् गिरफ़्तार करने वाले अधिकारी को इस अधिकार के बारे में आपको सूचित करना चाहिए।

- आप अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद मुचलके (bond) प्रतिभूति (sureties) के साथ अथवा इसके बग़ैर, रिहा हो सकते हैं। यदि आप ज़मानत लेने के लिए सामर्थ नही होते हैं तो आपको प्रतिभूति (sureties) के बगैर मुचलका (bond) देने पर रिहा कर दिया जायेगा।

- अगर आप अपनी गिरफ़्तारी के एक हफ्ते के अंदर ज़मानत नही ले पाये तो यह वजह काफी होगी पुलिस व कोर्ट के मानने लिए की आप ज़मानत लेने के लिए सामर्थ नही है और आपको उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार रिहा कर देना चाहिए।

- आपको अदालत को यह आश्वस्त कराना होगा कि आप समाज से जुड़े व्यक्ति हैं व् आप भाग नहीं जायेंगे।

vFkok

- आप समाज के किसी सम्मानित व्यक्ति से यह गारंटी दिला सकते हैं की आप भागेंगे नहीं, अगर आप भाग जाते हैं तो, गारंटर को ज़मानत की राशि का भुगतान करना होगा।

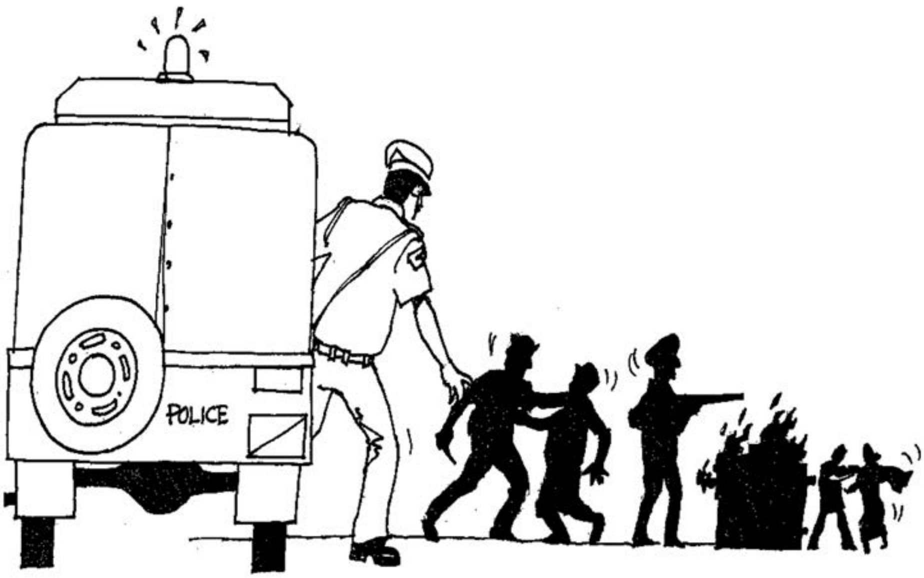

ग़ैर-ज़मानती अपराध

;ı g%

- आमतौर पर अधिक गंभीर अपराध जिनमें तीन वर्ष से अधिक की कारावास की सज़ा का प्रावधान हो, जैसे – हत्या, बलात्कार व् डकैती।
- ग़ैर–ज़मानती अपराध में ज़मानत देना अदालत के विवेक पर निर्भर करता है।

आप ज़मानत के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं?

- आपको ज़मानत के लिए अदालत में आवेदन करना होगा।
- अदालत में ज़मानत याचिका पर सुनवाई होगी।
- अदालत में अभियोजन पक्ष का वकीलः
  - इस आधार पर ज़मानत का विरोध कर सकता है कि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को डरा धमका सकते हैं।
  - कुछ शर्तों के साथ ज़मानत के लिए सहमत हो सकता है।
- बचाव पक्ष का वकील आपके पक्ष में यह दलील देगा किः
  - आप पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।
  - आप समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं व् आप भाग नहीं जायेंगे।
  - आप ज़मानत के लिए निर्धारित सभी शर्तों का सम्मान करेंगे।

ज़मानत देने के लिए आधार

vnkyr dks tekur nsus ls igys fuEufyf[kr ij fopkj djuk pkfg,%

- अपराध की गंभीरता।
- कहीं आप ज़मानत पर रिहा होकर भाग तो नहीं जायेंगे।
- कहीं आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे।

tekur ds lkFk fuEufyf[kr 'krsZ yxkbZ tk ldrh gSa%

- आपसे नियमित अंतराल पर पुलिस थाने में हाज़िर होने के लिए कहा जा सकता है।
- पूछताछ के लिए आपको पुलिस के साथ सहयोग करना होगा।
- जब कभी भी बुलाया जाए, आपको अदालत के सामने पेश होना होगा।
- आप देश छोड़ कर नहीं जायेंगे तथा आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा।

जांच का समापन

जब जांच पूरी हो जाती है तबः

- सरकारी वकील के माध्यम से अदालत में आरोप पत्र दायर किया जाता है।

  अथवा

- पुलिस अंतिम रिपोर्ट दाख़िल करेगी।

yksd vfHk;kstd o~ cpko i{k dks lquus ds i’pkr%

- अदालत आरोप पत्र को खारिज कर सकती है व् आरोपी बरी हो जायेगा।

  vFkok

- अदालत केस को स्वीकार कर सकती है, आरोप तय कर सकती है व ट्रायल की इजाज़त दे सकती है।

आरोप पत्र

rgdhdkr dk ,d lEiw.kZ vfHkys[k

blesa D;k&D;k 'kkfey gksrk gS%

- सभी पक्षों व् गवाहों के नाम।
- अपराध/मामले की प्रकृति।
- गिरफ़्तार करने वाले अधिकारी का नाम।
- क्या आरोपी को बांड पर रिहा किया गया है।
- फ़रार आरोपियों के नाम व् पते (लाल स्याही से चिन्हित)।
- बरामद पदार्थ व् सामग्री का वर्णन।
- आरोप, अपराध व् क़ानून की धाराओं के साथ विवरण।
- यह प्रतिबद्धता प्रकट हो कि क्या वाक़ई अपराध घटित हुआ है, अगर हुआ है, तो किसके द्वारा।

vkjksi i= ds lkFk layXu gksuk pkfg,%

- एफ़आईआर की प्रति।
- सभी दस्तावेज़, रिपोर्ट, व् प्रासंगिक सार जिनपर अभियोजन पक्ष विश्वास/आश्रय करता हो।
- गवाहों के सभी बयानात।
- कोई हथियार या सामग्री जिसकी सबूत के रूप में अहमियत हो।

अंतिम रिपोट

vfre fjikV rc çLrqr dh tkrh gS tcfd%

- पुलिस को यह विश्वास हो जाए कि अभियुक्त के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
- अभियुक्त पर कोई केस नहीं बनता है कि उसपर मुक़दमा चलाया जा सके।
- केस तो कायम हो सकता है मगर आरोपी की पहचान स्थापित नहीं की जा सकती।

vfre fjikVl feyus ds ckn vnkyr D;k dj ldrh gS?

- अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करके केस को बंद कर दे व् आरोपी को बरी कर दे।
- अन्तिम रिपोर्ट को ख़ारिज कर दे तथा पुलिस को केस में पुनः जांच करने का आदेश दे।
- आरोप तय करते हुए मुक़दमा शुरू करने का निर्देश दे।

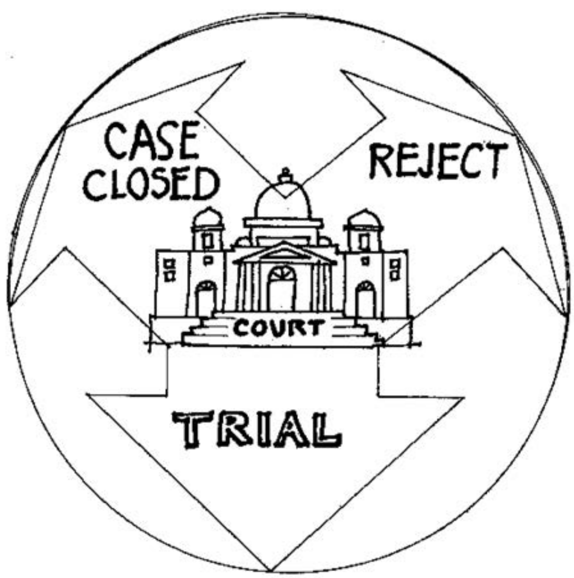

ukV

सीएचआरआई कार्यक्रम

सीएचआरआई राष्ट्रमंडल और इसके सदस्य देशों को मानवाधिकारों सम्बंधी उच्च स्तरीय व्यवहार, पारदर्शिता और सतत् विकास उद्देश्यों (SDGs) की पूर्ति का प्रयास करता है। *सीएचआरआई* खासकर मानवाधिकार, न्याय तक पहुंच और सूचना तक पहुंच पर रणनीतिक पहलकदमियों और परामर्शों पर काम करता है। इसके अनुसंधान, प्रकाशन, कार्यशालाएं, विश्लेषण, लामबंदी, प्रसार और परामर्श निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं:

1. blkQ rd igp (ATJ)

- पुलिस सुधारः बहुत से देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के बजाए राज्य के दमनकारी तंत्र के तौर पर देखा जाता है जिससे बड़े पैमाने पर अधिकारों का हनन और न्याय का खंडन होता है। *सीएचआरआई* सुनियोजित सुधार को बढ़ावा देता है ताकि पुलिस शासन की मर्जी थोपने के बजाए कानून की हुकमरानी के समर्थक के बतौर काम करे। भारत और दक्षिण एशिया में *सीएचआरआई* के कार्यक्रमों का उद्देश्य पुलिस सुधारों के लिए जनता के सहयोग को प्राप्त करना और नागरिक समाज को उन मुद्दों से जोड़कर मज़बूती प्रदान करना है। तंज़ानिया और घाना में *सीएचआरआई* पुलिस की जवाबदेही और नागरिक वर्ग से उसके जुड़ाव का परीक्षण करता है।
- जेल सुधारः सीएचआरआई पारंपरिक रूप से जेलों की अपारदर्शी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और कुप्रथाओं के बेनकाब करनेका काम करता है। मुकदमों की भीड़, अस्वीकार्य रूप से परीक्षणपूर्व लम्बी कैद और जेल में कैद रखने जैसी व्यवस्था की असफलताओं को उजागर करने के अलावा यह कानूनी सहायता का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप करता है। इन क्षेत्रों में परिवर्तन जेल के प्रशासन और न्याय की स्थिति में प्रगति की चिंगारी भड़का सकती है।

2- lpuk rd igp

- सूचना का अधिकारः *सीएचआरआई* को सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देने के मामले में विशेषज्ञता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। यह देशों को प्रभावी सूचना के अधिकार कानून पारित करने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कानून के विकास में यह नियमित रूप से सहायता करता है और सूचना के अधिकार कानून (आर.टी.आई. कानून) और उसके व्यवहारिक रूप को बढ़ावा देने में भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंगलादेश, घाना और हालिया दिनों में कीनिया जैसे देशों में खासतौर से कामयाब रहा है। घाना में *सीएचआरआई* ने कानून पारित करने के लिए प्रयासों को संगठित किया, कामयाबी लम्बे संघर्ष के बाद 2019 में मिली। *सीएचआरआई* नियमित रूप से नए कानूनों की समीक्षा करता है और सबसे बेहतर पद्धति को सरकार तथा नागरिक समाज दोनों के संज्ञान में लाने के काम में हस्तक्षेप करता है, उस समय भी जब कानून का मसौदा तैयार किया जाता है और उसे पहली बार लागू करते समय तब भी। *सीएचआरआई* को विपरीत वातावरण और सांस्कृति रूप से विविध क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है जो इसे नए सूचना अधिकार कानून बनाने के इच्छुक देशों में बहुमूल्य अंतदृष्टि लाने में सक्षम बनाता है।
- दक्षिण एशिया मीडिया रक्षकों का नेटवर्क (SAMDEN): *सीएचआरआई* ने दक्षिण एशिया में 'मीडिया कर्मियों पर बढ़ते हुए हमलों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर दबाव' के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए मीडिया पेशेवरों का एक क्षेत्रीय नेटवर्क विकसित किया है। इस नेटवर्क, दक्षिण एशिया मीडिया रक्षकों के नेटवर्क (SAMDEN) का मानना है कि ऐसी स्वतंत्रता अविभाज्य है और वह कोई राजनीतिक सीमा नहीं जानती है। भेदभाव और धमकियों का अनुभव रखने वाले मीडिया पेशेवरों के एक खास समूह द्वारा नियंत्रित, सैमडेन ने मीडिया पर दबाव, मीडिया की सिकुड़ती गुंजाइश और प्रेस की आज़ादी के मुद्दों को बेनकाब करने का दृष्टिकोण विकसित किया है। यह मीडिया को लामबंद करने के लिए भी काम कर रहा है ताकि सहयोग और संख्या बल के माध्यम से ताकत में इज़ाफा हो। सहक्रियता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सैमडेन को आरटीआई आंदोलन और कार्यकर्ताओं से जोड़ने में निहित है।

3- vrjk"Vh; odkyr vkj dk;jpuk

अपनी प्रमुख रिपोट *bft ;j lM nu Mu* के माध्यम से *सीएचआरआई* राष्ट्रमंडल सदस्य राज्यों के मानवाधिकार दायित्वों के अनुपालन, खासकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, की निगरानी करता है। यह मानवाधिकार चुनौतियों की वकालत करता है और रणनीतिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल मंत्री स्तरीय कार्यवाही समूह और मानवाधिकार एंव जन अधिकारों के लिए अफ्रीकी आयोग समेत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर काम करता है। वर्तमान रणनीतिक पहलकदमियों में एसडीजी 16, एसडीजी 8.7 के लिए वकालत करना, जवाबदेही और वैश्विक सामयिक समीक्षा के लिए राष्ट्रमंडल सदस्यों को एकजुट और नियंत्रित करना शामिल है। हम मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा और नागरिक समाज के विस्तार की वकालत और हिमायत करते हैं।

4- ,lMhth 8-7% nklrk ds ledkyhu Lo:i

2016 से *सीएचआरआई* ने राष्ट्रमंडल पर संयुक्त राष्ट्र कायमी विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 8.7, की प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए दबाव बनाया है। इसमें बधुआ मज़दूरी को समाप्त करने के लिए तत्काल रूप से प्रभावी कदम उठाने, आधुनिक दासता और मानव तस्करी को खत्म करने और बाल सैनिकों की भरती और प्रयोग समेत अत्यंत कुरूप बाल मज़दूरी को मिटाना और उसको प्रतिबंधित करना और 2025 तक बाल मज़दूरी के हर स्वरूप को समाप्त करना शामिल है। जूलाई 2019 में *सीएचआरआई* ने राष्ट्रमंडल 8.7 नेटवर्क का शुभारंभ किया जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे उन गैर सरकारी संगठनों के बीच भागीदारी को सहयोग करता है जो राष्ट्रमंडल देशों में दासता के समकालीन स्वरूप को खत्म करने का साझा दृष्टिकोण रखते हैं। सभी पांच क्षेत्रों से करीब 60 गैर सरकारी संगठन की सदस्यता वाला नेटवर्क देश के विशिष्ट और विषयगत मुद्दों और बेहतर पद्धति के लिए सूचना साझा करने और सामूहिक वकालत को शक्ति प्रदान करने वाले मंच के बतौर सेवा देता है।

;g fdrkc ifyl 0;oLFkk o dkuuh çfØ;k ls tqM+s dkuu ds çeq[k igyqvksa o ekudksa ij çdk'k Mkyrh gSA ;g ifyl 0;oLFkk esa 'kkfey lkekU; dnkpkj o vfu;kfeÙkkvksa dks lkj esa çLrqr djrh gS] ftlls ;g le>us esa enn feyrh gS fd dkuu ds vuqlkj ifyl ds D;k dk;Z dyki gSa o okLro esa ifyl D;k djrh gS QyLo:i dkuu o ekudksa dk mYya?ku gksrk gSA

Friedrich Naumann Foundation for Freedom
Regional Office South Asia
6, USO House, USO Road
Special Institutional Area
New Delhi - 110067
Phone: +91 (11) 41688149/50
www.fnfsouthasia.org

lh,pvkjvkbZ eq[;ky;] ubZ fnYyh
dkeuoYFk áseu jkbV~l bfuf'k,fVo
55,] rhljk ry] fl)kFkZ pSEcl Z & 1
dkyw ljk;] ubZ fnYyh & 110016
nqjHkk"k% +91 11 4318 0200
QSDl% +91 11 4318 0217
bZesy% info@humanrightsinitiative.org